कार्यालय का नाम : ----------

आदेश धारा 17(8) के अन्तर्गत

आदेश संख्या -

प्रार्थनापत्र Acknowledgement संख्या : ----------

व्यापारी का नाम /पता ----------

व्यापारी द्वारा पंजीयन हेतु आन लाइन प्रार्थना पत्र दिनांक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया गया जिसमें निम्न त्रुटियाँ थीं-

इंगित त्रुटियाँ :
1.
2.
3.
4.

व्यापारी को उक्त त्रुटियों के निराकरण के लिए समुचित अवसर प्रदान किया गया परन्तु व्यापारी द्वारा उक्त त्रुटियों का निराकरण नहीं किया गया।

उक्त तथ्यों के आलोक में व्यापारी द्वारा पंजीयन हेतु प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना पत्र विचारोपरान्त अस्वीकार किया जाता है।

अधिकारी का नाम
पदनाम

(योगेन्द्र कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि)
कार्यालय, लखनऊ

पंजीकृत डाक से

कार्यालय का नाम : ----------

नोटिस धारा-54 की उपधारा (1) के क्रमांक 22 के अन्तर्गत

नोटिस संख्या -
दिनांक : , 2014
व्यापारी का टिन ----------
व्यापारी का नाम /पता ----------

उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 24की उपधारा (7) के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष की वार्षिक रिटर्न निर्धारित प्रारूप में Prescribed समयावधि में प्रस्तुत किए जाने के प्राविधान किए गए हैं।

उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली , 2008 के नियम 45 के उपनियम (7) में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक व्यापारी किसी भी कर निर्धारण वर्ष के वार्षिक रिटर्न (फार्म-26 , 26ए , 26बी) को अनुवर्ती वर्ष की तिथि 31, अक्टूबर तक प्रस्तुत करेगा। इसी उपनियम के तृतीय परन्तुक में कमिश्नर वाणिज्य कर को वार्षिक रिटर्न के प्रस्तुतीकरण की अवधि को बढ़ाने का अधिकार प्रदत्त है।

उक्त प्रविधानों से स्पष्ट है कि वर्ष 2012-13 के वार्षिक रिटर्न के प्रस्तुत करने की सामान्य तिथि 31 अक्टूबर, 2013 थी जिसे कमिश्नर वाणिज्य कर , उ0प्र0 द्वारा नियम 45 के उपनियम(7) के तृतीय परन्तुक में प्रदत्त प्राविधानों का प्रयोग करते हुए 29-1-2014 तक बढ़ा दिया गया था परन्तु आपके द्वारा वर्ष 2012-13 का वार्षिक रिटर्न 29-1-2014 तक प्रस्तुत नहीं किया गया है और इस प्रकार आपके द्वारा धारा-24 की उपधारा(7) तथा संगत नियम-45 के उपनियम(7) के प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।

अत: आप दिनांक को उपस्थित होकर यदि आपके पास उपर्युक्त वर्ष 2012-13 के वार्षिक रिटर्न के प्रस्तुतीकरण का कोई साक्ष्य उपलब्ध हैं तो उसे प्रस्तुत करें अन्यथा उपरोक्त प्राविधानों का उल्लंघन करने के लिए स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध उक्त धारा के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित कर दिया जाए।

ध्यान रहे कि यदि आप उक्त तिथि को उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में कोई साक्ष्य/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करते हैं तो यह मानते हुए कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है , आपके विरुद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही पूर्ण कर दी जाएगी।

अधिकारी का नाम
पदनाम

(योगेन्द्र कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि)
वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ

कार्यालय का नाम : ----------

आदेश धारा-54 की उपधारा (1) के क्रमांक 22 के अन्तर्गत

आदेश संख्या -

व्यापारी का टिन ----------

व्यापारी का नाम /पता ----------

उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 24 की उपधारा (7) के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष की वार्षिक रिटर्न निर्धारित प्रारूप में Prescribed समयावधि में प्रस्तुत किए जाने के प्राविधान किए गए है।

उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली , 2008 के नियम 45 के उपनियम (7) में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक व्यापारी किसी भी कर निर्धारण वर्ष के वार्षिक रिटर्न (फार्म-26 , 26ए , 26बी) को अनुवर्ती वर्ष की तिथि 31, अक्टूबर तक प्रस्तुत करेगा। इसी उपनियम के तृतीय परन्तुक में कमिश्नर वाणिज्य कर को वार्षिक रिटर्न के प्रस्तुतीकरण की अवधि को बढ़ाने का अधिकार प्रदत्त है।

उक्त प्रविधानों से स्पष्ट है कि वर्ष 2012-13 के वार्षिक रिटर्न के प्रस्तुत करने की सामान्य तिथि 31 अक्टूबर, 2013 थी जिसे कमिश्नर वाणिज्य कर , उ0प्र0 द्वारा नियम 45 के उपनियम (7) के तृतीय परन्तुक में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए विभिन्न व्यापारिक संगठनों तथा अधिवक्ता संगठनों के अनुरोध पर आदेश सं0 1093 दिनांक 28.10.2013 द्वारा बढ़ाकर 30-11-2013 ; आदेश सं0 1241 दिनांक 29 नवम्बर, 2013 द्वारा बढ़ाकर 31-12-2013 ; आदेश सं0 1338 दिनांक 31-12-2013 द्वारा बढ़ाकर 15-1-2014 तथा अंतिम रूप से आदेश सं0 1397 दिनांक 15.1.2014 द्वारा दिनांक 29-1-2014 किया गया।

उपरोक्तानुसार अनेकों बार वार्षिक रिटर्न के प्रस्तुतीकरण की अवधि बढ़ाए जाने के पश्चात भी प्रश्नगत व्यापारी द्वारा वर्ष 2012-13 का वार्षिक रिटर्न 29-1-2014 तक प्रस्तुत नहीं किया गया है और इस प्रकार इनके द्वारा उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 की धारा-24 की उपधारा (7) तथा सुसंगत उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली , 2008 के नियम-45 के उपनियम (7) के प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में व्यापारी को दिनांक को उपस्थित होकर यह स्पष्ट करने के लिए अवसर प्रदान किया गया कि यदि उनके पास उपर्युक्त वर्ष 2012-13 के वार्षिक रिटर्न के प्रस्तुतीकरण का कोई साक्ष्य उपलब्ध है तो उसे प्रस्तुत करें अन्यथा उपरोक्त प्राविधानों का उल्लंघन करने के लिए स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध उक्त धारा के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित कर दिया जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि व्यापारी उक्त तिथि को उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में कोई साक्ष्य/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करते हैं तो यह मानते हुए कि उनको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध उपर्युक्त धारा के अन्तर्गत अर्थदण्ड की कार्यवाही पूर्ण कर दी जाएगी।

व्यापारी का स्पष्टीकरण :

निष्कर्ष एवं आदेश :

अधिकारी का नाम
पदनाम

(योगेन्द्र कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि)
वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ